



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

क्र. जीत महती वगैरह बनाम जाण दास वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
08-03-18	<p>अभिलेख सं०-एम... 19 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-04/18 दिनांक-22/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू बाग काण्ड क्र० 87/17 एवं 88/17 दिनांक 28-12-17 धारा 341/323/324/506/34 भा०द०वि० की लैकउभय पत्र में तनाव है जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 23-03-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p>	
23-04-18	<p>पीठासीन पदाधिकारी नगर पेचापत्र बुनक कार्ड में व्यस्त। दिनांक 09-04-18 को रखा।</p>	

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

17-12-18

अभिलेख अपर्याप्त । प्रथम पत्र क्रमांक ०१ उपरिष्ठ कार्य अध्यापित । द्वितीय पत्र क्रमांक ०१ उपरिष्ठ कार्य अध्यापित । प्रथम पत्र क्रमांक ०१ एवं द्वितीय पत्र क्रमांक ०१ की ओर से एक संयुक्त मुलाहना का आवेदन मापान्य में दिया गया । दिनांक ०७-०१-१९ की रखे ।

[Signature]
17/1/18


०७-०१-१९


अभिलेख अपर्याप्त । प्रथम पत्र उपरिष्ठ । प्रथम पत्र की ओर से मापान्य में एक संयुक्त मुलाहना आवेदन दिया गया कि प्रथम पत्र में अपसीसहगीत वगैरे से उगाडा उगत अविषय में होने की कोई शंका नही है एवं अविषय के गति एवं रते का निर्णय लिया है प्रथम पत्र मापान्य के मापान्य से वाद की कार्यवाही की समाप्त करने की विनम्र आग्रह करता है प्रथम पत्र के संयुक्त आवेदन की रखा किया गया है तथा वाद

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

में अमलख की कावर्ड बन्द की
जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुध (रांची)


कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुध (रांची)